भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 168**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार

*168. श्री गिरिधारी यादवः
श्रीमती रमा देवीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत तथा मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा वांछित स्तर तक नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन एवं सर्वेक्षण किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढाने हेतु विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा उनसे क्या सफलता हासिल हुई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1807**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रोपण से जुड़े कामगार

1807. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में रोपण कार्य से जुड़े कामगारों के संबंध में कोई आंकड़ा है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): चाय, कॉफी , रबड़ और इलायची को कवर करते हुए बागान क्षेत्र में लगे श्रमिकों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार हैं:

चाय	**असम**	**पश्चिम बंगाल**	**तमिलनाडु**	**केरल**	**त्रिपुरा**	**कर्नाटक**	**अन्य राज्य**	**कुल**
	6,84,654	3,37,316	49,410	40,773	13,257	3059	3473	11,31,942

स्रोत: चाय बोर्ड ।

कॉफ़ी	**कर्नाटक**	**केरल**	**तमिलनाडु**	**गैर पारंपरिक क्षेत्र (ओडिशा और आंध्र प्रदेश)**	**कुल**
	5,14,695	44,194	31,274	69,703	6,59,866

स्रोत: कॉफी बोर्ड ।

रबर	**केरल**	**तमिलनाडु**	**कर्नाटक**	**त्रिपुरा**	**असम**	**अन्य राज्य**	**कुल**
	3,04,000	13,300	29,500	45,600	29,800	28,800	4,51,000

स्रोत: रबड़ बोर्ड ।

इलायची (छोटी)	**केरल**	**कर्नाटक**	**तमिलनाडु**	**कुल**
	29,150	18,850	3,800	51,800

स्रोत: मसाला बोर्ड ।

*****

<u>दिनांक 3 जुलाई 2019 को " भारत एवं मध्य एशिया के बीच व्यापार " के संबंध में लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 168 के भाग क से ड. के संदर्भ में उत्तरार्थ विवरण</u>

(क) और (ख) मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का विवरण निम्नानुसार है : -

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

क्र. सं.	देश	2017-18			2018-19		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	कजाकिस्तान	125.37	907.43	1032.81	143.13	708.78	851.91
2	किर्गीजस्तान	28.59	30.94	59.53	30.02	2.59	32.6
3	ताजिकिस्तान	23.94	50.29	74.24	22.28	4.24	26.52
4	तुर्कमेनिस्तान	54.31	26.15	80.46	45.64	20.63	66.27
5	उज़्बेकिस्तान	132.72	101.67	234.39	201.41	126.73	328.14
	कुल	**364.93**	**1116.49**	**1481.42**	**442.48**	**862.97**	**1305.45**

मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ कारकों में इन देशों के साथ भाषा अवरोध, उत्पादों के पंजीकरण की कठोर प्रक्रिया, विवाद निपटान में समस्याएं, कमज़ोर बैंकिग एवं वित्तीय प्रणाली, कम पहुँच एवं खराब कनेक्टिविटी तथा वीज़ा संबंधी मामले शामिल हैं ।

भारत एवं मध्य एशियाई देशों के बीच अंतर-सरकार आयोगों (आईजीसी) /संयुक्त आयोग की बैठकों और संयुक्त कार्यकारी समूहों (जेडब्ल्यूजी) के मौजूदा संस्थागत तंत्र के द्वारा व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करके व्यापार बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी हाँ।

मध्य एशियाई देश नामत: कज़ाकिस्तान एवं किर्गीजस्तान यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के सदस्य हैं । ईएईयू, जिसमें रूस, अर्मेनिया, बेलारस अन्य तीन देश शामिल हैं, के साथ मुक्त व्यापार करार की सम्भावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है । संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन में पाया गया है कि व्यापार करार के द्वारा कजाकिस्तान एवं किर्गीजस्तान के द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त, भारत एवं उजबेकिस्तान के बीच एक अधिमान्य व्यापार करार की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने हेतु एक

संयुक्त वक्तव्य साझा किया गया है । द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित सम्भाव्यता का निर्धारण संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा ।

(ड.) अंतर - सरकारी आयोग (आईजीसी), संयुक्त आयोग बैठकें (जेसीएम) और संयुक्त कार्यकारी समूहों (जेडब्ल्यूजी) के रूप में मौजूदा संस्थागत तंत्र हैं, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों को चर्चा के लिए उठाया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं वर्तमान वर्ष में 3 आईजीसी, 2 जेडब्ल्यूजी और 3 जेसीएम की बैठकों का आयोजन किया गया है । मंत्रालय मध्य एशियाई क्षेत्र में निर्यात में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों की पहचान करने एवं समाधान करने के लिए निर्यात संवर्धन संबंधी मामलों को निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार निकायों, वस्तु बोर्डों एवं भारतीय दूतावासों के समक्ष उठाते हैं

सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के इन प्रयासों के कारण मध्य एशियाई देशों के साथ भारत में वर्ष 2017 -18 और 2018 -19 में पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल पण्य वस्तु निर्यात में वृद्धि हुई है ।

******

Hkkjr ljdkj **yksd lHkk**
Okkf.kT; ,oa m|ksx ea=ky; **vrkjkafdr iz'u la- 2024**

fnukad 03 tqykbZ] 2019 dks mÙkj fn, tkus ds fy,

O;kikj ?kkVk

2024- Jh [kxsu eqeqZ%

MkWñ lqdkUr etwenkj%

D;k **okf.kT; vkSj m|ksx ea=**h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k O;kikj ?kkVs esa yxkrkj o`f) gqbZ gS] ;fn gka] rks o"kZ&okj blds dkj.kksa ds lkFk C;kSjk D;k gS(

¼[k½ mDr vofèk ds nkSjku mu ns'kksa dk C;kSjk D;k gS ftuds lkFk O;kikj ?kkVk c<+k gS rFkk vk;kr ,oa fu;kZr ds fy, fu;r ,oa izkIr fd;s x;s y{;ksa dk fooj.k D;k gS(

¼x½ D;k ljdkj us fofHkUu O;kikj laxBuksa@fu;kZr lao/kZu ifj"knksa ls fu;kZr c<+kus ij tksj nsus ds fy, vH;kosnu izkIr fd;k gS vkSj ;fn gka] rks ljdkj }kjk mudh fparkvksa dks gy djus ds fy, mBk, x, dneksa ds lkFk&lkFk rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼?k½ ns'k dh vFkZO;oLFkk ij O;kikj ?kkVs dk cqjh rjg ls izHkkfor {ks=ksa dks n'kkZrs gq, bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS(vkSj

¼³½ ljdkj }kjk O;kikj ?kkVs ds izHkko dks de djus ds fy, fu;kZr dks c<+kus gsrq ljdkj }kjk dkSu ls mik; fd;s x;s gSa\

mÙkj

okf.kT; ,oa m|ksx ea=h

¼Jh ih;w'k xks;y½

¼d½% xr rhu o'kksZa esa Hkkjr dk lexz O;kikj ?kkVk ¼O;kikfjd oLrq,a ,oa lsok,a½ fuEukuqlkj gS%&

	¼fcfy;u vejhdh Mkyj esa½
o'kZ	**O;kikj ?kkVk**
2016&17	&40-20
2017&18	&84-45
2018&19*	&103-63

lzksr% MhthlhvkbZ ,aM ,l] dksydkrk vkSj vkjchvkbZ ¼*vuafre½

mijksDr rkfydk esa fn, x, vkadM+s n”kkZrs gSa fd xr o’kksZa dh rqyuk esa o’kZ 2017&18 vkSj 2018&19 esa O;kikj ?kkVk c<+k gSA O;kikj ?kkVk oSf”od vkSj ?kjsyw dkjdksa tSls ?kjsyw vkSj vUrZjk’Vªh; cktkjksa esa ekax vkSj vkiwfrZ] eqnzk esa mrkj&p<+ko] ØsfMV ykxr] ykWftfLVDl ykxr vkfn ds dkj.k fofHkUu oLrqvksa ds vk;kr vkSj fu;kZr esa lkis{k mrkj p<+ko ij fuHkZj gksrk gSA fu;kZr esa ldkjkRed o`f) ds ckotwn O;kikj ?kkVk izeq[k :Ik ls isVªksfy;e ØqM vkSj mRiknksa] bysDVªkfuDl oLrqvksa] yksgk vkSj bLikr] jlk;u vkSj lacaf/kr mRiknksa] dks;yk] dksd vkSj fczdsV~l] moZjdksa] e”khujh vkSj vykSg /kkrqvksa ds vf/kd vk;kr ds dkj.k c<+k gS] tks o’kZ 2018&19 esa dqy vk;kr dk 70 izfr”kr ls vf/kd fgLlk gSA

¼k½% fons”k O;kikj uhfr 2015&20 ds vuqlkj] ljdkj dk Hkkjr ds O;kikfjd oLrqvksa vkSj lsokvksa ds fu;kZr dks 465-9 fcfy;u vejhdh MkWyj ls c<+kdj o’kZ 2019&20 rd yxHkx 900 fcfy;u vejhdh MkWyj djus rFkk fo”o fu;kZr ¼oLrq,a ,oa lsok,a½ esa Hkkjr ds fgLls dks 2 izfr”kr ls c<+kdj 3-5 izfr”kr djus dk y{; gSA fo”o O;kikj laxBu ¼MCY;wVhvks½ vuqekuksa ds vuqlkj o’kZ 2017 esa fo”o fu;kZr ¼oLrq,a ,oa lsok,a½ esa Hkkjr dk fgLlk c<+dj 2-1 izfr”kr gks x;k gSA xr 3 o’kksZa ds nkSjku Hkkjr ds lexz fu;kZr ¼O;kikfjd oLrq,a ,oa lsok,a½ rFkk vk;kr ¼O;kikfjd oLrq,a ,oa lsok,a½ dk fcfy;u vejhdh Mkyj esa ewY; fuEukuqlkj gS%&

¼ewY; fcfy;u vejhdh Mkyj esa½

o’kZ	fu;kZr	izfr”kr ifjorZu	vk;kr	izfr”kr ifjorZu
2016&17	440-05	5-63	480-26	3-14
2017&18	498-63	13-31	583-08	21-41
2018&19*	535-86	7-47	639-49	9-68

lzksr% MhthlhvkbZ ,aM ,l] dksydkrk vkSj vkjchvkbZ ¼*vuafre½

xr rhu o’kksZa ds nkSjku 25 eq[; ns”kksa ftuds lkFk Hkkjr dk O;kikj ?kkVk c<+k gS] dk fooj.k **vuqyXud&1** esa fn;k x;k gSA

¼x½ ls ¼M-½ fu;kZr dks izksRlkgu nsus ds fy, le;≤ ij O;kikj laxBuksa@fu;kZr lao/kZu ifj’knksa ls vH;kosnu@lq>ko izkIr fd, tkrs gSa ftu ij O;kikj uhfr;ksa dh leh{kk vkSj lq/kkj djus dh fu;fer ekStwnk izfØ;k ds Hkkx ds :Ik esa fopkj fd;k tkrk gSA mPPk O;kikj ?kkVk eq[;r% ns”k dh ÅtkZ vko”;drkvksa dks iwjk djus rFkk mu mRiknksa dh miHkksDrk ekaxksa dks iwjk djus tks Hkkjr esa fofufeZr ugha fd, tkrs gSa] ds fy, vR;ko”;d vk;kr djus dh otg ls gksrk gSA ljdkj us Hkkjr ds fu;kZr dks

c<+kok nsus rFkk O;kikj ?kkVs ds izHkko dks de djus ds fy, fuEufyf[kr dne mBk, gSa%&

i. ubZ fons”k O;kikj uhfr ¼QVhih½ 2015&20 1 vizSy] 2015 dks vkjaHk dh xbZA fons”k O;kikj uhfr 2015&20 ^esd bu bf.M;k^] ^fMthVy bf.M;k^] ^fLdy bf.M;k^] ^LVkVZ&vi bf.M;k^ vkSj ^O;kikj djus dh lqxerk^ igyksa ds vuq#i ns”k esa oLrqvksa vkSj lsokvksa ds fu;kZr dks c<+kus rFkk jkstxkj l`tu vkSj ewY; lao/kZUk dks c<kok nsus ds fy, ,d <kapk iznku djrh gSA bl uhfr esa vU; ckrksa ds lkFk&lkFk iwoZ dh fu;kZr lao/kZu Ldheksa dks rdZlaxr cuk;k x;k vkSj nks ubZ Ldhesa vFkkZr eky ds fu;kZr esa lq/kkj ykus ds fy, Hkkjr lss O;kikfjd oLrqvksa ds fu;kZr dh Ldhe ¼ebZvkbZ½ vkSj lsokvksa ds fu;kZr esa o`f) djus ds fy, ^Hkkjr ls lsok fu;kZr dh Ldhe ¼lbZvkbZ½* vkjaHk dh xbZA bu Ldheksa ds varxZr tkjh M~;wVh ØsfMV fLØi iw.kZ :Ik ls gLrkarj.kh; cuk, x,A
ii. ykWftfLVDl {ks= ds ,dhd`r fodkl dk leUo; djus ds fy, okkf.kT; foHkkx eas ,d u;s ykWftfLVDl izHkkx dk l`tu fd;k x;kA fo”o cSad ds ykWftfLVDl dk;Zfu’iknu lwpdkad esa Hkkjr dk LFkku o’kZ 2014 esa 54 osa LFkku ls lq/kjdj o’kZ 2018 esa 44osa LFkku ij igqap x;kA
iii. O;kikj djus dh lqxerkß dks c<+kus ds fy, fofHkUu mik; fd, x,A fo”o cSad ds ßO;kikj djus dh lqxerkß jSfdax esa Hkkjr dk jSad o’kZ 2014 esa 142 ls csgrj gksdj o’kZ 2018 esa 77 gks x;k rFkk Þlhek ikj O;kikjß esa jSad 122 ls 80 gks x;kA
iv. fnukad 6 fnlEcj] 2018 dks ,d O;kid Þd`f’k fu;kZr uhfrß izkjaHk dh xbZ ftldk mís”; o’kZ 2022 rd fdlkuksa dh vk; dks nqxquk djuk rFkk d`f’k fu;kZr dks cy iznku djuk gSA
v. ns”k esa fu;kZr volajpuk varj dks ikVus ds fy, fnukad 1 vizSy] 2017 ls ,d ubZ Ldhe uker% Þfu;kZr gsrq O;kikj volajpuk Ldhe ¼VhvkbZbZ½ß dks izkjaHk fd;k x;kA
vi. fofufnZ’V d`f’k mRiknksa ds fu;kZr gsrq ifjogu dh mPp ykxr dh gkfu dks de djus ds fy, ,d ubZ Ldhe uker Þifjogu ,oa foi.ku lgk;rkß ¼Vh,e,½ Ldhe izkjaHk dh xbZ gSA
vii. uhfr fof”k’V fu;kZr nkf;Ro dks 90 izfr”kr ls ?kVkdj lkekU; fu;kZr nkf;Ro dk 75 izfr”kr djrs gq, bZihlhth Ldhe ds varxZr Lons”kh fofuekZrkvksa ls iawthxr eky dh [kjhn dks c<kok nsus ds mik;ksa dks “kkfey djrh gSA

viii. uhfr ds varxZr fofufnZ'V le;&lhek esa fu;kZr mRikn esa okLrfod #i ls "kkfey dh tkus okyh fufof'V;ksa ds "kqYd eqDr vk;kr dks vuqer djus gsrq vfxze izkf/kdkj i= tkjh djus dk izko/kku fd;k x;k gSA

ix. fons"k O;kikj uhfr] 2015&20 dh e/;kof/k leh{kk 5 fnLkEcj] 2017 dks dh xbZA izfr o'kZ 8450 djksM+ #- ds foÙkh; fufgrkFkZ ds lkFk Je l?ku@,e,l,ebZ {ks++=ksa ds fy, izksRlkgu njksa esa 2 izfr"kr dh o`f) dh xbZA

x. u,@laHkkfor fu;kZrdksa ds chp vkmVjhp@O;kikj laca/kh tkx#drk gsrq fu;kZr ca/kq Ldhe ykap dh xbZ gSA

xi. iwoZ ,oa i"p iksrynku #i;s fu;kZr _.k lEcU/kh C;kt ledj.k Ldhe dks fnukad 1-4-2015 ls izkjaHk fd;k x;k ftlls Je l?ku@,e,l,ebZ {ks=ksa ds fy, 3 izfr"kr C;kt ledj.k iznku fd;k tk jgk gSA fnukad 02-11-2018 ls ,e,l,ebZ {ks=ksa ds fy, nj dks c<+kdj 5 izfr"kr fd;k x;k vkSj fnukad 02-01-2019 ls Ldhe ds varxZr epsZUV fu;kZrdksa dks "kkfey fd;k x;kA

xii. oL= vkSj fufeZfr;ksa ds fu;kZr dks "kkfey djrs gq, ,d ubZ Ldhe uker% jkT; vkSj dsUnzh; djksa vkSj ysoh ls NwV iznku djus gsrq Ldhe ¼vkjvks,llhVh,y½ dks fnukad 7-3-2019 dks vf/klwfpr fd;k x;k ftlds varxZr mPp njksa ij "kqYdksa@djksa dk fjQaM fn;k tk jgk gSA

****

3 tqykbZ] 2019 dks mÙkj fn, tkus okys yksd lHkk ds vrk-iz-la- 2024 ds Hkkx ¼[k½ ds mÙkj esa mfYYkf[kr fooj.k

xr rhu o’kksZa ds nkSjku 25 eq[; ns”k ftuds lkFk O;kikj ?kkVk c<+k gS

¼ewY; fefy;u vejhdh Mkyj esa½

xr rhu o’kksZa ds nkSjku 25 eq[; ns”k ftuds lkFk O;kikj ?kkVk c<+k gS				
Ø-la-	**ns”k**	**2016&17**	**2017&18**	**2018&19***
1	lÅnh vjc	-14862.11	-16659.26	-22917.49
2	bZjkd	-10596.50	-16153.58	-20583.81
3	dksfj;k x.kjkT;	-8343.93	-11900.80	-12053.69
4	bjku	-8126.89	-8459.16	-10014.63
5	drj	-6861.66	-6937.14	-9110.54
6	Tkkiku	-5908.90	-6239.13	-7910.91
7	ukbZthfj;k	-5895.37	-7246.41	-7879.50
8	osustq,yk	-5449.83	-5787.16	-7094.18
9	teZuh	-4402.06	-4607.91	-6258.65
10	dqoSr	-2964.29	-5800.03	-6096.90
11	gkax dkax	5843.06	4014.29	-4985.02
12	?kkuk	-1257.52	-2074.27	-3046.08
13	Rkkboku	-959.25	-1769.58	-1970.04
14	eSfDldks	516.47	-147.47	-1735.46
15	is:	-380.27	-1616.18	-1684.37
16	vYthfj;k	236.77	-437.75	-756.69
17	Ckksfyfo;k	-94.02	-562.06	-747.50
18	cqfdZuk Qklks	-141.48	-484.22	-699.83
19	fo;ruke lektoknh x.kjkT;	3466.00	2794.53	-684.86
20	tksM+Zu	-305.84	-444.16	-537.43
21	xSckWu	-26.12	-350.31	-400.84
22	dkaxks yksd x.kjkT;	-20.69	-82.12	-272.77
23	csyk:l	-130.41	-160.23	-171.48
24	yDtecxZ	-34.60	-41.84	-101.83
25	nf{k.k lwMku	3.07	-67.02	-79.43

*vuafre] lzksr% MhthlhvkbZ ,aM ,l(dksydkrk

Hkkjr ljdkj **yksd lHkk**
okf.kT; ,oa m|ksx ea=ky; **vrkjkafdr iz'u laå**
2021

fnukad 3 tqykbZ] 2019 dks mÙkj fn, tkus ds fy,

f[kykSuksa dk vk;kr

2021- Jh gjh'k f}osnh%

D;k **okf.kT; vkSj m|ksx ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k f[kYkkSuksa ds vk;kr ds lacaèk esa dksbZ ekunaM fuèkkZfjr fd;k x;k gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(

¼x½ D;k ljdkj ns'k esa phu ls f[kykSuksa ds vk;kr ij izfrcaèk yxkus ij fopkj dj jgh gS(vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj blds D;k dkj.k gSa\

mÙkj

Okkf.kT; ,oa m|ksx ea=h
¼Jh ih;w'k xks;y½

¼d½ vkSj ¼[k½% f[kykSuksa dk vk;kr ges”kk Hkkjrh; ekudksa ds v/;/khu jgk gSA bl laca/k esa la”kksf/kr ekud@fn”kk&funsZ”k fnukad 01-09-2017 ls fo|eku gSaA ;s fn”kk funsZ”k ekudksa ds #i esa gSa tks eq[; #i ls lqj{kk dkj.kksa ds fy, gSaA la”kksf/kr ekudksa ds vuqlkj] f[kykSuksa dk vk;kr eqDr #i esa rHkh vuqer fd;k tk,xk tc fuEufyf[kr layXu fd, tk,a%

i. Hkkjrh; ekud C;wjks ¼chvkbZ,l½ }kjk ;Fkk fu/kkZfjr ekudksa dk vk;krd }kjk vuqikyu dk izek.k i= vkSj

ii. fofuekZrk ls vuqikyu dk izek.k lk= fd vk;kr fd, tk jgs f[kykSuksa ds uewus dh ,d Lora= iz;ksx”kkyk }kjk tkap dh xbZ gS tks jk’Vªh; ijh{k.k ,oa va”kkadu iz;ksx”kkyk izR;k;u cksMZ ¼,u,ch,y½] Hkkjr }kjk izR;kf;r gSA

¼x½ vkSj ¼?k½% Hkkjr eas oSKkfud] lk;kZoj.kh;] ekuo] i”kq vkSj ouLifr ds LokLF; vkSj thou tSls dkjdksa dks NksM+dj dksbZ ns”k fof”k’V vk;kr izfrca/k ykxw ugha gSA Hkkjrh; miHkksDrkvksa ds laj{k.k ds fy, lk;kZIr izko/kku ekStwn gSa D;ksafd vk;kfrr eky ?kjsyw dkuwuksa] fu;eksa] vkns”kksa] fofu;eksa] rduhdh fofunsZ”kuksaa] lk;kZoj.kh; vkSj lqj{kk ekudksa ds v/;/khu gSaA blds vykok] Hkkjr ds ikl vius lk;kZoj.k] vius yksxksa] ouLifr;ksa vkSj lk”kqvksa ds thou vkSj LokLF; dh j{kk ds fy, ,d O;kid vkSj etcwr dkuwuh <+kapk rFkk LkaLFkkxr O;oLFkk fo|eku gSA ?kjsyw eky ds fy, ykxw chvkbZ,l ekud vk;kfrr eky ds fy, Hkh ykxw gSA

******

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1941**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसईजैड नीति

1941. श्री भगवंत खुबाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार संबंधित विधि प्रक्रियाओं में गैर–कृषि भूमि परिवर्तन संशोधन लाने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई। एसईजेड नियम, 2006, 10 फरवरी, 2006 को लागू किया गया था। एसईजेड स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: -

(i) एसईजेड में अधिकृत संचालन के उद्देश्य से निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एन्क्लेव को भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर एक क्षेत्र के रूप में माना जाएगा ;
(ii) आयात के लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं;
(iii) विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति;
(iv) इकाई उत्पादन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना करने के लिए सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी;
(v) घरेलू बिक्री प्रभावी पूर्ण सीमा शुल्क और आयात नीति के अधीन है;
(vi) उप संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता;
(vii) निर्यात / आयात कार्गो के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कोई नियमित जांच नहीं;
(viii) सेज डेवलपर्स/ सह-डेवलपर्स और इकाइयां सेज अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लाभों का लाभ उठाते हैं।

(ख): ऐसे किसी प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गयी है क्योंकि भूमि राज्य का विषय है ।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1940**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

तंबाकू उत्पादन में कमी

1940. श्रीमती किरण खेरः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तंबाकू बोर्ड द्वारा ''पर्यावरण और वन पर तंबाकू के प्रभाव'' पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 285वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुपालन में तंबाकू उत्पादन घटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए कोई सूचना/परिपत्र जारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) तंबाकू बोर्ड ने फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू के उत्पादन को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं

i) बोर्ड ने संकल्प किया था कि तंबाकू की खेती को चरण बद्ध तरीके से हटाया जाएगा। किसानों के हितों को प्रभावित किए बिना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में इसकी क्रमिक और समान कमी की जाएगी।

ii) तंबाकू बोर्ड नए उत्पादकों का पंजीकरण नहीं कर रहा है और नई खन्तियों को बनाने, अतिरिक्त क्योरिंग अवसंरचना का सृजन करने और नए क्षेत्रों में एफसीवी तंबाकू की खेती का विस्तार करने के लिए किसी तरह का लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है और इस तरह तंबाकू के क्षैतिज विस्तार पर रोक लगा रहा है।

iii) बोर्ड बैंकरों और सहकारी समितियों को पंजीकृत उत्पादकों द्वारा खन्तियों का अनधिकृत निर्माण करने/ अनधिकृत खेती करने के लिए वित्त पोषण नहीं करने की सलाह दे रहा है ।

iv) अधिक और अनधिकृत उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत, नीलामी मंच पर अतिरिक्त और अनधिकृत तंबाकू की बिक्री की अनुमति देती है, जो शास्ति उगाही के अध्यधीन है।

v) तंबाकू उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से स्थायी विकल्प प्रदान करने के लिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई) के साथ तंबाकू बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है।

vi) तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्य कृषि विभाग के साथ समन्वय करके वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए एफसीवी तंबाकू उत्पादकों में राष्ट्रीय

कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) योजना के बारे में जागरूकता सृजित कर रहा है ।

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष, बोर्ड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए अलग से उत्पादन नीति तैयार करता है और फसल का आकार तय करता है। उत्पादन नीति के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों और खन्ती ऑपरेटरों का पंजीकरण होने पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में अलग से फील्ड स्टाफ को एक परिपत्र जारी करता है प्रति लाइसेंस शुदा खन्ती के लिए मृदा -क्षेत्र वार उत्पादन का कोटा प्राधिकृत करता है और बोर्ड द्वारा तय की गई फसल के आकार के उत्पादन को विनियमित करता है तथा अतिरिक्त और अनधिकृत उत्पादन को नियंत्रित करता है ।

तंबाकू बोर्ड एफसीवी तंबाकू के उत्पादन को विनियमित करने और अधिक/अनधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए प्रमुख तंबाकू उत्पादक गांवों में, समूह बैठकें करके, जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित करके, इलेक्ट्रॉनिक/समाचार मीडिया, पर्चों का वितरण करके विभिन्न उत्पादन विनियमन उपाय करता है।

तंबाकू बोर्ड एफसीवी तंबाकू की वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित करने के लिए फील्ड स्टाफ को एक परिपत्र भी जारी करता है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1937**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

मिर्च का आयात और उत्पादन

1937. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि भारी आयात के कारण घरेलू उद्योग में मिर्च के मूल्य में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मिर्च पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में मिर्च के आयात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मिर्च की वार्षिक खपत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) काली मिर्च की घरेलू कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च के उच्च उत्पादन और आपूर्ति के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट तथा भारत में अन्य देशों से काली मिर्च के आयात के कारण आई है । काली मिर्च की कीमत में वर्ष 2017-18 से ही गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वर्ष 2017 -18 के दौरान घरेलू बाजार में काली मिर्च की औसत कीमत 473.73 रूपये प्रति किलो थी जो घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 378.21 रूपये प्रति कि.ग्राम. हो गयी ।

(ख): सरकार ने व्यापार करारों के तहत कवर किए गए देशों के अलावा अन्य सभी देशों से काली मिर्च के आयात तथा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन और पुनर्निर्यात निर्यात के लिए आयात पर वर्ष 2007 से 70% का शुल्क अधिरोपित किया। इसके अतिरिक्त, काली मिर्च के लिए न्यूनतम आयात कीमत के अधिरोपण ने काली मिर्च की कीमतों में तीव्र गिरावट को रोकने एवं आयात घटाने में सहायता की है। वर्ष 2018-19 में भारत में काली मिर्च का अनुमानित आयात वर्ष 2017-18 के 29650 मीट्रिक टन की तुलना में 24950 मीट्रिक टन था जो 15.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में काली मिर्च के आयात का विवरण नीचे दिया गया है;

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रू.)
2015-16	19,365	116,296
2016-17	20,265	111,590
2017-18	29650	109,084
2018-19 (अनुमान)	24,950	77,991

(अनुमान): अनुमान

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता/ सीमा शुल्क से डीएलआई

(घ): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान देश में काली मिर्च की वार्षिक खपत और उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	घरेलू खपत (एमटी)
2015-16	73555	50000
2016-17	62,080	55000
2017-18	70,878	58000
2018-19 (*)	62144 * *	58000

(*) प्रोजेक्शन

स्रोत: उत्पादन: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय , कालीकट, केरल।

उपभोग: अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, आईपीसी, जकार्ता

** केरल के सभी जिले और कर्नाटक के पांच जिले भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित थे, जिससे बागानों को क्षति हुई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान कम उत्पादन हुआ।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1910**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यातकों की शिकायतें

1910. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय निर्यातकों ने उचित दर पर पर्याप्त निधियन की कमी के बारे में शिकायत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक्ज़िम बैंक को बजटीय आवंटन के माध्यम से 1,000/– करोड़ रुपये की इक्विटी प्रदान करने का है और कम लागत पर निर्यातकों को निधि प्रदान करने के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को मजबूत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का किस समय तक निर्यातकों के लाभ के लिए ऐसे उपायों को लागू करने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): ऐसी कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि विभिन्न पणधारियों की बैठकों के दौरान भारतीय निर्यातकों ने उपयुक्त लागत पर पर्याप्त निधियन की कमी की शिकायत की है ।

(ख): एक्जिम बैंक : सरकार ने भारतीय निर्यात -आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुन:पूंजीकरण को अनुमोदित किया है। भारत सरकार ने बैंक में पूंजी निवेश के लिए 6000 करोड़ रू. की सीमा तक के पुन: पूंजीकरण बांड जारी करेगी। भारत सरकार ने बैंक की 10,000 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रू. करने का भी अनुमोदन किया है।

ईसीजीसी लि.: सरकार ने अफ्रीका, सीआईएस, लैटिन अमेरिका और एशियाई देशों जैसे उभरते एवं चुनौती पूर्ण बाजारों को अधिक निर्यात में सहायता देने और लिवरेज अनुपात को 20 गुणा तक नीचे लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की तीन वर्षों की अवधि में ईसीजीसी में 2000 करोड़ रू. के पूंजी निवेश को अनुमोदित किया है।

(ग): एक्जिम बैंक: सरकार ने पहले ही पुन:पूंजीकरण बांड के जरिए एक्जिम बैंक में पूंजी निवेश के लिए 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान में 4500 करोड़ रू. का प्रावधान किया है। यह 2018-19 के दौरान बैंक में किए गए 500 करोड़ रू. के पूंजी निवेश के अलावा है। अंतरिम बजट में भी 2019-20 के दौरान बैंक में 1500 करोड़ रू. के पूंजी निवेश का प्रावधान किया है जिसमें से 550 करोड़ रू. पुन: बांडों के जरिए और शेष बैंक के शेयर पूंजी में अंशदान के जरिए देने का प्रस्ताव है।

ईसीजीसी लि. : अब तक वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्रमश: 50 करोड़ रू. 500 करोड़ रू. और 389.17 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है। 1060.83 करोड़ रू. की शेष राशि बजट प्रावधानों की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2009**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसईजेड में निवेश

2009. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और डेवलपर्स पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने से एसईजेड में निवेश में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एसईजेड में निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डेवलपर्स और इकाइयों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए एसईजेडएस के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू करने की योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एसईजेड के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विगत दो वर्षों में एसईजेड ने अपने संबंधित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): सरकार ने 1 अप्रैल,2012 से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट वापस ले ली है। एमएटी लागू होने के बाद एसएईजेड में निवेश का विवरण अनुबंध में दिया गया है:

(ख) और (घ): सेज में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित पहलें की गईं हैं:

i. सरकार एसईजेड की नीति और परिचालन ढांचे की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और एसईजेड के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती है।

ii. एसईजेड की स्थापना के लिए मल्टी-प्रोडक्ट और सेक्टर-विशिष्ट सेज के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता को 50% कम कर दिया गया है।

iii. समान क्षेत्र के तहत समान/संबंधित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टोरल ब्रॉड-बैंडिंग शुरू की गई है।

iv. एसईजेड और गैर-सेज निकायों द्वारा सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाओं के दोहरे उपयोग की अनुमति दी गई है ताकि एसईजेड के संचालन को और अधिक अर्थक्षम बनाया जा सके।

v. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्वयं के सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र को अधिक प्रभावी बनाएं।

vi. एसईजेड के विकास आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

(ग): एसईजेड से आयात और निर्यात के लिए माल की आवाजाही के लिए कागज रहित लेन-देन की सुविधा देने के लिए एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म - एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली पहले से ही क्रियान्वित कर दी गयी है। इसके अलावा, एसईजेड सूचना, एसईजेड ऑनलाइन लेनदेन, व्यापार सूचना और संपर्क विवरण वाले चार खंडों युक्त "एसईजेड इंडिया" नामक एक मोबाइल ऐप 06.01.2017 को लॉन्च किया गया ताकि एसईजेड इकाइयों / डेवलपर्स की सुविधा हो।

(ङ): एसईजेड में किए गए निवेश, सृजित रोजगार और निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के आकलन के लिए मात्रात्मक मानदंड हैं । पिछले दो वर्षों के दौरान एसईजेड से निवेश, रोजगार और निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	निवेश * (करोड़ रुपए में)	रोजगार * (व्यक्ति)	निर्यात (करोड़ रुपए में)
2017-2018	4,74,917	19,77,216	5,81,033
2018-2019	5 , 07 , 644	20 , 61 , 055	7 , 01 , 179

*संचयी आधार पर परिकलित

अनुबंध

मैट की शुरूआत के पश्चात एसईजेड मे निवेश का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निवेश * (करोड़ रु में)
1	2012-2013	2,36,717
2	2013-2014	2,96,663
3	2014-2015	3,38,794
4	2015-2016	3,76,494
5	2016-2017	4,23,189
6	2017-2018	4 , 74 , 917
7	2018-2019	5 , 07 , 644

* संचयी आधार पर परिकलित

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1989**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमरीकी उत्पादों पर सीमा शुल्क

1989. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत से अधिमान्य–शुल्क के गत लाभों को वापस लेने का निर्णय करने के पश्चात्, सरकार का अमरीका से आयात किए जा रहे उत्पादों पर उच्चतर सीमा शुल्क लगाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन निर्णयों के प्रभाव की समीक्षा की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर अमरीका से कोई चर्चा/बातचीत की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं(ख): अमेरिका ने मार्च, 2018 में इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर 25% एवं 10% का एक वैश्विक अतिरिक्त प्रशुल्क अधिरोपित किया। इसके प्रत्युत्तर में, भारत सरकार ने राजस्व विभाग की दिनांक 15 जून,2019 की अधिसूचना सं. 17/2019-सीमा शुल्क के तहत 16 जून,2019 से अमेरिका से निर्यातित या उद्भवित 28 उत्पादों पर प्रतिकारात्मक प्रशुल्क अधिरोपित किया है। अधिरोपित अतिरिक्त मूलभूत सीमा शुल्क दर और उत्पादों की सूची अनुबंध में दी गयी है।

(ग) एवं (घ) प्रतिकारात्मक प्रशुल्कों का अमेरिका से आयातित इन 28 उत्पादों पर लगभग 217 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग) के शुल्क आपतन के हिसाब से अतिरिक्त प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

(ड.) और (च) वर्तमान में जारी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के एक भाग के रूप में इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ सतत रूप से बातचीत करता रहा है। अमेरिका ने इन शुल्कों को वापस लेने के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

*****

अनुबंध -क

संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित या उद्भवित 28 उत्पादों पर 16 जून,2019 से अतिरिक्त मूलभूत सीमा शुल्क का अधिरोपण

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तु	प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क (%)
1	7132000	काबुली चना, सूखी एवं छिल्का युक्त (गारबानझो)	10
2	7134000	दाल (मसूर), सूखी एवं छिल्का युक्त	20
3	8021100	बदाम,ताजे या सूखे या छिल्का युक्त	17
4	8021200	छिल्का युक्त बादाम ताजे या सूखे	20
5	8023100	अखरोट ताजे या सूखे छिल्का युक्त	20
6	8081000	ताजे सेव	20
7	28092010	फॉस्फोरिक एसिड	5
	28100020	बोरिक अम्ल	20
9	38220090	अन्य डायग्नोस्टिक रीएजेन्ट्स	20
10	38249990	फाउंड्री मोल्डस के लिए अन्य बाइंडर्स	10
1 1	72101210	>600 एमएम मोटाई के ओटीएस/एमआर टाइप फ्लैट रोल्ड उत्पाद	15
12	72101290	अन्य प्लेट्स, शीट, स्ट्रिप्स	15
13	72191200	> = 4.75 एमएम की मोटाई के क्वॉइल्स में हॉट-रॉल्ड उत्पाद	15
14	72191300	3एमएम की मोटाई बीटी <4.75 एमएम के क्वाइल्स में	15
15	72192190	अन्य निकल केएम ऑस्टेंक्ट टाइप एनईएस	15
16	72199090	अन्य शीट और प्लेट्स एनईएस	15
17	72251100	सिलिकान इलेक्ट्रिकल एसटीए ग्रेन ओरियन्टेड के फ्लैट रोल्ड उत्पाद	15
18	73072900	स्टेनलेस स्टील की अन्य फिटिंग	15
19	73079990	गैर-गल्वनाइज्ड	15
20	73089090	लोहा और इस्पात के अन्य ढांचे तथा ढांचे के पार्टस	15
21	73102990	अन्य -टैंक एवं ड्रम इत्यादि	15
22	73181500	नट के साथ /बगैर अन्य स्क्रू एवं बोल्ट	15

23	73181600	थ्रेडेड नट	15
24	73182990	अन्य नॉन थ्रेडेड मदें एनईएस	15
25	73209090	लौह / इस्पात के अन्य स्प्रिंग्स	15
26	73259999	लौह या इस्पात एनईएस की अन्य कास्ट वस्तुएं	15
27	73261990	फोर्ज्ड या स्टांप्ड, लेकिन आगे कार्य नहीं की गई वस्तुएं	15
28	73269099	लोहा/इस्पात की अन्य सभी वस्तुएं	15

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1955**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

काली मिर्च का आयात और उत्पादन

1955. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू काली मिर्च उत्पादकों के संरक्षण के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लागू की है;
(ख) यदि हां, तो क्या इसके काली मिर्च के घरेलू उत्पादकों पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या काली मिर्च के बढ़ते आयात और गैर–कानूनी प्रवेश से भारत में काली मिर्च के औसत मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वर्ष 2018–19 के दौरान घरेलू उत्पादन 65000 टन की खपत के मुकाबले कम होकर 50000 टन होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का घरेलू उत्पादकों को सहयोग प्रदान करने के लिए काली मिर्च को दक्षिण एशियाई मुक्त यापार क्षेत्र और भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता की आयात सूची से हटाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) बंगाल भूटान, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम से सस्ते आयातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश के काली मिर्च उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : काली मिर्च के आयात को घटाने एवं काली मिर्च की घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने दिनांक 6.12.2017 की विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के तहत काली मिर्च के लिए रू. 500/कि.ग्रा. का सीआईएफ मूल्य निर्धारित किया था। इसके बाद,दिनांक 21.3.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत रू. 500/- प्रति कि.ग्रा. या उससे अधिक कीमत पर काली मिर्च का आयात मुक्त कर दिया गया एवं रू. 500/- प्रति कि.ग्रा. से कम कीमत के आयात को निषिद्ध करके न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) अधिसूचना में संशोधन किया गया।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में काली मिर्च के आयात का विवरण नीचे दिया गया है ;

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रू.)
2015-16	19,365	116,296
2016-17	20,265	111,590
2017-18	29650	109,084
2018-19 (अनुमानित)	24,950	77,991

(ईएसटी): अनुमानित स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता / सीमा शुल्क डीएलआई

काली मिर्च के लिए न्यूनतम आयात कीमत अधिरोपित करने से काली मिर्च की कीमतों में गिरावट और आयात को कम करने में मदद मिली है । वर्ष 2018-19 में भारत में काली मिर्च का अनुमानित आयात 24950 मीट्रिक टन था, जबकि वर्ष 2017- 18 में यह 29650 मीट्रिक टन था जो 15.9% की गिरावट दर्शाता है।

(ग): काली मिर्च के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ते आयात के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में काली मिर्च की कीमत में गिरावट आई है । काली मिर्च की कीमत वर्ष 2017-18 से गिरावट का रूझान प्रदर्शित कर रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान काली मिर्च की औसत घरेलू कीमत रुपये 694. 77 प्रति कि.ग्रा.थी, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 378.21 रूपये प्रति कि.ग्रा.रह गई।

पिछले 4 वर्षों के दौरान काली मिर्च की औसत घरेलू कीमत नीचे दी गयी है:

वर्ष	कोचीन में काली मिर्च की औसत घरेलू कीमत (एमजी 1) (रु./किलो ग्राम)
2015-16	655.22
2016-17	694.77
2017-18	473.73
2018-19	378.21

स्रोत: भारतीय काली मिर्च एवं मसाला व्यापार एसोसिएशन , कोचीन

(घ): वर्ष 2018-19 के दौरान काली मिर्च का घरेलू उत्पादन कम होने अर्थात वर्ष 2017-18 के दौरान 70878 टन के काली मिर्च उत्पादन की तुलना में 62144 टन होने का अनुमान है, क्योंकि केरल के सभी जिले और कर्नाटक के पांच जिले भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित थे, जिससे 2018-19 के दौरान बागानों को नुकसान हुआ, जिस कारण उत्पादन में कमी आई । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में काली मिर्च के वार्षिक उपभोग और उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है;

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	घरेलू उपभोग (एमटी)
2015-16	73555	50000
2016-17	62,080	55000
2017-18	70,878	58000
2018-19 (*)	62,144	58000

(*) अनुमान

स्रोत : उत्पादन: सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल, उपभोग: अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च कम्युनिटी, आईपीसी, जकार्ता

(ड.): भारत को सार्क क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष प्राप्त है । साफ्टा और आईएसएफटीए से संबंधित समीक्षा करने या अन्यथा का कोई भी निर्णय इन समझौतों के पक्षकारों के द्विपक्षीय विचारों पर निर्भर है। साफ्टा और आईएसएफटीए की समीक्षा के मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) भारत बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से काली मिर्च का आयात नहीं कर रहा है । श्रीलंका और वियतनाम से काली मिर्च के आयात को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ,निम्नलिखित शामिल हैं :

1. केंद्रीय सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की दिनांक 6.12.2017 की अधिसूचना के तहत काली मिर्च के लिए. न्यूनतम आयात कीमत 500/- प्रति कि.ग्रा निर्धारित की है।

2. इसके बाद, दिनांक 21.3.2018 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत 500 रुपये या उससे अधिक प्रति किलोग्राम कीमत पर काली मिर्च के आयात को मुक्त करके और 500 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत के आयात को निषिद्ध करके न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) अधिसूचना में संशोधन किया गया।

3. भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत अधिमान्य पहुंच का लाभ उठाकर अन्य देशों से काली मिर्च के अनुचित आयात को रोकने के लिए, श्रीलंकाई प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने में पूरी सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करें। हमारे अनुरोध पर, श्रीलंका ने भारत को भेजे जाने वाले तीसरे देश के काली मिर्च के पोत लदान के लिए उद्गम प्रमाणपत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इन उद्गम प्रमाणपत्रों को जारी करते समय, श्रीलंका में संगत प्राधिकारी निर्यात की यथार्थता का सुनिश्चय करने के लिए, श्रीलंका में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त काली मिर्च के निर्यात से संबंधित सूचना का क्रास सत्यापन भी कर रहे हैं। श्रीलंका ने एक तंत्र भी बनाया है जिसके तहत भारतीय प्राधिकारियों को आईएसएफएलटीए और साफ्टा के तहत काली मिर्च के निर्यात के लिए उद्गम प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों की जांच करने की सुविधा प्रदान की गई है।

4. श्रीलंका ने इण्ट्रीपोर्ट व्यापार और वाणिज्यिक हब प्रचालनों से होकर काली मिर्च और सुपारी सहित मसालों के आयात को अस्थायी रूप से आस्थगित कर दिया है ताकि इन मसालों को श्रीलंका के उत्पाद के रूप में श्रीलंका से भारत को पुनर्पोतलदान से रोका जा सके।

5. श्रीलंका ने उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए श्रीलंका में मौजूदा प्रक्रियाओं तथा आईएसएफटीए और साफ्टा के तहत श्रीलंका द्वारा निर्यातित काली मिर्च के पोत लदानों के लिए जारी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए श्रीलंका द्वारा स्थापित नए तंत्र की जांच करने के लिए एक तकनीकी टीम का दौरा सुकर बनाने पर सहमति जताई है।

6. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सीमाशुल्क की प्रक्षेत्र संरचनाओं के प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बंदरगाहों पर प्रवेश स्थलों पर सतर्कता बरतें जिससे विभिन्न देशों से निम्न गुणवत्ता की काली मिर्च के प्रवेश की संभावना का निराकरण किया जा सके।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1945**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

व्यापार मेला परिसर

1945. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर असम में नए व्यापार मेला परिसरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावित परिसरों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विभाग पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन केंद्रों सहित निर्यात अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विभाग ने 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' के तहत तीन व्यापार संवर्धन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। इन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इंगित की गयी समय सारणी
1	'इम्फाल, मणिपुर में व्यापार सह स्थायी प्रदर्शनी केंद्र के मुख्य प्रदर्शनी भवन (चरण-II) की स्थापना	मणिपुर औद्योगिक विकास निगम (एमएएनआईडीसीओ), मणिपुर सरकार	प्रारंभ होने की तिथि से 24 महीने
2	'चेन्नई व्यापार केंद्र का विस्तार ', तमिलनाडु	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	परियोजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है।
3	'मिंटो हॉल,भोपाल,मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन केंद्र की स्थापना	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	पूरा हो गया है ।

टीआईईएस स्कीम के तहत असम में नए व्यापार मेला परिसर के लिये वित्तीय सहायता की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1898**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि क्षेत्र का आयात और निर्यात

1898. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निर्यातित और आयातित वस्तुओं की मात्रा और मूल्य का देश–वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है तथा इसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की कितनी हिस्सेदारी है;
(ग) क्या वर्ष 2016–17 के दौरान चाय, मसालों और तम्बाकू सहित छह मुख्य कृषि उत्पादों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने देश में कृषि और बागवानी क्षेत्र का इस निर्यात पर किसी दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा प्राकृतिक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी में सुधार करने के लिए, उक्त उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए और उत्पादों के मूल्य और उनकी किस्मों के संदर्भ में घरेलू मांग/कीमत प्रभावित किए बिना कृषि उत्पादों हेतु दीर्घकालीन आयात–निर्यात नीति बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात एवं आयात किए गए खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि उत्पादों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध- I और अनुबंध- II पर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार (शीर्ष 10 देश) ब्यौरा अनुबंध- III में है । चूंकि कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात कई तथ्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मांग एवं आपूर्ति स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय एवं बाजार मूल्य, गुणवत्ता मुद्दे, खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों इत्यादि पर निर्भर है, इसलिए आयात अथवा निर्यात के कोई लक्ष्य निश्चत नहीं किए जाते हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यातों में कृषि क्षेत्र का हिस्सा नीचे दिया गया है ।

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का हिस्सा	12.07%	12.66%	11.76 %

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा प्रकाशित नहीं किया गया है ।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में कृषि उत्पादों का समग्र निर्यात 2.64% तक बढ़ा । चाय, मसालों एवं विनिर्मित तंबाकू का निर्यात क्रमशः 1.56%, 12.22% और 2.41% बढ़ा जबकि अनिर्मित तंबाकू का निर्यात 4.65% तक घट गया । कुछ अन्य प्रमुख उत्पाद जिनके निर्यातों में कमी आई वे थे भैंस का मांस (-4.07%), बासमती चावल (-7.75%) और कपास (-16.38%) । इस कमी के

कई कारण हैं अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम मूल्य और मांग, प्रतिकूल मुद्रा संचलन, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां जैसे ईरान और रूस के विरूद्ध प्रतिबंध इत्यादि ।

(घ) वाणिज्य विभाग द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्र के निर्यात के दीर्घावधि प्रभावों को आंकने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि यह अपेक्षा की जाती है कि निर्यात न केवल उत्पादकों को बेहतर बाजार के अवसर उपलब्ध कराते है बल्कि उनकी आय को बढ़ाने में भी मदद करते है ।

(ड.) कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित विजन से एक व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है: -

"उपयुक्त नीतिगत प्रस्तावों द्वारा भारतीय कृषि की निर्यात संभावना को बढ़ाना जिससे भारत कृषि में वैश्विक शक्ति बन सके और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो ।"

अन्य बातों के साथ - साथ, कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) हमारे निर्यात बास्केट एवं गंतव्यों में विविधता लाना और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं सहित उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना ।
(ii) अप्रतिम, स्वदेशी, जैविक, संजातीय, परम्परागत एवं गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना ।
(iii) बाजार पहुंच प्राप्त करने, अवरोधों से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मुद्दों को देखने के लिए सांस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराना ।
(iv) वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दो गुना करने का प्रयास करना ।
(v) किसानों को विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना ।

सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता लाई है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मालभाड़ा क्षति को कम करना और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल भाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता उपलबध कराना है ।

वाणिज्य विभाग में कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात सवंर्धन के लिए कई स्कीमें है अर्थात निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) इत्यदि । इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा मसाला बोर्ड की निर्यात् संवर्धन स्कीमों के तहत भी सहायता उपलब्ध है ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा: हजार इकाइयों में; मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर

		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल-मई)	
विवरण	**यूनिट**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
मादक पेय	एल टीआर	2,32,179.33	298.90	2,41,013.37	326.67	2,31,601.93	300.91	24,470.87	38.17
पशु केसिंग	कि.ग्रा.	173.24	2.06	12,424.66	50.68	14,882.83	68.27	1,860.28	9.18
भैंस का मांस	टन	1,323.58	3,903.49	1,350.25	4,037.11	1,233.38	3,587.15	196.12	553.36
काजू	टन	91.79	786.93	90.06	922.41	78.22	654.43	10.73	84.50
काजू खोल तरल	कि.ग्रा.	11,404.76	6.56	8,325.16	5.06	5,300.66	3.87	651.15	0.47
अरंड़ी का तेल	कि.ग्रा.	5,99,195.56	674.73	6,97,092.50	1,043.99	6,19,376.57	883.78	1,08,029.60	180.07
कदन्न	टन	339.95	531.70	353.35	552.61	347.77	551.74	54.30	87.27
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	25,649.50	162.18	29,579.53	177.47	27,603.73	192.69	4,617.91	30.16
कॉफ़ी	कि.ग्रा.	2,88,613.37	842.84	3,17,828.97	968.57	2,82,889.02	822.34	56,749.99	149.54
कॉटन रॉ जिसमें अपशिष्ट शामिल है ।	टन	996.09	1,621.11	1,101.47	1,894.25	1,143.07	2,104.41	66.99	118.70
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	90,352.31	253.73	1,02,262.55	303.05	1,80,698.38	481.55	26,150.46	71.90
फ्लोरिकल्चर उत्पाद	कि.ग्रा.	22,020.33	81.55	20,703.51	78.73	19,726.56	81.78	2,983.68	13.45
ताजा फल	टन	817.06	743.23	714.00	761.79	754.75	794.04	155.35	154.15
ताजा सब्जियाँ	टन	3,404.07	863.12	2,448.02	821.76	2,933.37	810.44	449.73	119.96
फल / सब्जी के बीज	कि.ग्रा.	11,288.62	78.16	14,465.77	104.04	17,419.48	124.92	2,534.57	30.91
मूंगफली	टन	725.71	809.60	504.04	524.82	489.19	472.74	85.97	92.05
ग्वारगम खाद्य	टन	419.95	463.35	494.13	646.94	513.22	674.88	91.96	117.43
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	11,85,272.87	5,903.06	14,32,456.67	7,389.22	14,36,680.63	6,802.24	2,24,351.96	996.97
मिल्ड उत्पाद	कि.ग्रा.	2,55,803.65	121.37	2,70,396.97	136.01	3,07,367.50	151.46	46,225.21	23.13
विविध संसाधित वस्तुएं		-	455.59	-	550.55	-	658.35	-	106.10
सीरा	टन	390.67	47.06	123.97	15.06	841.16	83.76	113.25	11.53
प्राकृतिक रबड़	टन	24.46	37.65	7.70	13.89	6.66	11.02	1.13	1.90
नाइजर बीज	कि.ग्रा.	14,070.46	17.46	9,215.04	10.84	13,370.58	13.64	2,001.16	2.33
तिलहन	टन	2,632.26	805.45	3,570.78	1,093.16	4,486.14	1,511.52	483.70	145.05
अन्य अनाज	टन	734.77	212.30	864.24	248.59	1,277.00	349.06	89.28	36.15
अन्य मांस	टन	0.01	0.03	0.45	1.09	0.85	1.96	0.35	0.76
अन्य तिल	टन	193.27	126.00	295.10	174.79	213.83	131.57	18.88	13.27
कुक्कुट उत्पाद		-	79.11	-	85.70	-	98.17	-	14.23
प्रसंस्कृत फल एंड जूस	कि.ग्रा.	5,33,152.10	584.79	5,73,281.42	646.92	5,92,174.58	639.65	89,406.13	95.12
संसाधित मांस	टन	0.14	0.69	0.27	1.54	0.41	2.00	0.16	0.90
संसाधित सब्जियां	कि.ग्रा.	1,92,855.77	263.57	2,12,203.36	282.87	2,28,872.64	293.95	38,164.28	48.93
दलहन	टन	136.72	191.05	179.60	227.75	285.83	259.34	28.96	26.43
चावल -बसमती	टन	3,985.21	3,208.60	4,056.85	4,169.56	4,414.61	4,712.44	864.03	932.20
चावल (बासमती) के अलवा	टन	6,770.83	2,525.19	8,818.53	3,636.60	7,599.75	3,040.22	711.84	293.82
तिल के बीज	कि.ग्रा.	3,07,328.55	402.17	3,36,850.37	463.90	3,11,987.34	538.94	41,637.11	84.06
भेड़ / बकरी का मांस	टन	22.01	129.69	22.80	130.90	21.67	124.65	3.62	22.98
चपड़ा	कि.ग्रा.	6,065.00	33.60	6,530.85	44.22	6,996.04	43.70	1,039.16	6.24
मसाले	कि.ग्रा.	10,14,453.31	2,851.95	10,96,322.85	3,115.37	10,91,789.68	3,322.56	2,09,119.92	586.77
चीनी	टन	2,544.01	1,290.71	1,757.93	810.90	3,987.96	1,359.75	1,189.20	382.87
चाय	कि.ग्रा.	2,43,429.62	731.26	2,72,894.98	837.36	2,70,300.12	830.90	39,617.55	132.90
तम्बाकू निर्मित		-	324.31	-	340.37	-	410.96	-	59.46
तंबाकू अनिर्मित	कि.ग्रा.	2,04,447.42	634.38	1,85,363.88	593.88	1,89,538.70	570.28	32,419.79	102.26
वनस्पति तेल	टन	60.47	116.29	37.06	87.83	49.95	106.79	8.51	19.79
गेहूँ	टन	265.61	66.85	322.79	96.72	226.23	60.31	16.90	4.42
कुल			**33,283.41**		**38,425.52**		**38, 739.10**		**6,001.81**

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

अनुबंध- II

कृषि वस्तुओं का आयात

मात्रा: हजार इकाइयों में; मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर

		2016-17		2017-18		2018-19		**2019-20 (अप्रैल-मई)**	
विवरण	**यूनिट**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
मादक पेय	एल टीआर	4,52,717.72	535.56	5,63,769.85	601.22	5,87,940.57	667.60	1,10,410.99	122.48
काजू	टन	774.51	1,346.58	654.02	1,418.63	839.64	1,607.54	137.03	199.80
काजू खोल तरल	कि.ग्रा.	1,687.77	0.55	2,092.36	0.88	6,611.49	3.02	4,150.78	1.47
अरंडी का तेल	कि.ग्रा.	107.21	0.22	38.37	0.40	223.82	0.76	48.05	0.25
कदन्न विनिर्मितयां	टन	66.46	86.33	71.10	102.35	90.24	137.86	12.24	16.49
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	63,611.90	229.67	71,257.55	228.51	87,593.24	263.14	14,433.88	42.37
कॉफ़ी	कि.ग्रा.	78,041.34	138.20	77,217.05	154.73	82,772.39	137.67	12,833.96	20.16
कॉटन रॉ जिसमें अपशिष्ट शामिल है ।	टन	499.62	946.88	469.13	979.32	298.98	632.98	76.26	155.72
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	16,906.34	38.02	23,393.63	48.51	13,643.20	36.43	1,573.81	4.71
फ्लोरिकल्चर उत्पाद	कि.ग्रा.	5,568.39	19.96	6,241.10	21.16	6,374.48	24.97	1,974.59	12.27
ताजा फल	टन	1,057.51	1,682.88	994.70	1,942.92	1,124.18	1,987.58	230.80	359.88
ताजा सब्जियाँ	टन	8.55	1.66	15.66	3.98	14.75	3.40	0.10	0.38
फल / सब्जी के बीज	कि.ग्रा.	14,073.87	97.42	16,051.46	119.19	19,725.77	119.77	2,116.14	22.26
मूंगफली	टन	0.33	0.21	1.72	2.02	1.09	1.16	0.17	0.18
ग्वारगम खाद्य	टन	0.18	0.36	0.43	0.51	0.72	0.84	0.40	0.26
समुद्री उत्पाद	कि.ग्रा.	52,015.03	94.37	44,713.34	123.06	56,933.36	155.70	10,170.18	32.35
मिल्ड उत्पाद	कि.ग्रा.	3,555.95	2.42	3,275.70	2.02	4,184.83	2.23	769.02	0.42
विविध संसाधित वस्तुएं		-	315.61	-	349.00	-	366.23	-	68.75
सीरा	टन	13.84	1.35	72.85	10.76	4.47	0.20	8.30	0.33
प्राकृतिक रबड़	टन	426.19	652.57	469.76	829.15	582.35	873.26	66.65	99.03
नाइजर बीज	कि.ग्रा.	10,656.00	12.38	5,332.80	4.49	8,664.88	5.80	1,557.25	1.11
तेल भोजन	टन	550.43	145.30	485.96	115.83	504.00	125.26	103.37	24.17
अन्य अनाज	टन	311.37	73.30	265.13	67.27	244.32	67.92	66.34	14.80
अन्य मांस	टन	0.59	2.84	0.78	4.31	0.88	4.39	0.16	0.75
अन्य तेल के बीज	टन	116.64	58.55	127.35	56.47	220.48	108.60	59.94	29.72
कुक्कुट उत्पाद		-	4.41	-	4.17	-	6.01	-	0.90
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	कि.ग्रा.	42,993.07	81.73	53,585.04	124.78	59,120.53	129.68	12,198.75	20.60
संसाधित मांस	टन	0.13	0.67	0.10	0.50	0.12	0.59	0.02	0.10
संसाधित सब्जियां	कि.ग्रा.	13,323.28	17.16	15,335.42	20.92	18,093.79	23.18	4,762.93	5.62
दलहन	टन	6,609.49	4,244.13	5,607.53	2,908.33	2,527.88	1,140.76	418.94	176.66
चावल (बासमती) के अलावा	टन	1.14	1.08	2.12	1.89	6.87	4.56	0.77	0.71
तिल के बीज	कि.ग्रा.	69,028.83	65.88	26,269.59	27.40	87,538.04	124.23	44,687.80	64.22
भेड़ / बकरी का मांस	टन	0.13	1.27	0.22	2.07	0.12	1.55	0.04	0.45
चपड़ा	कि.ग्रा.	459.61	2.01	466.92	2.85	640.96	2.75	186.95	0.73
मसाले	कि.ग्रा.	2,42,293.68	858.95	2,22,325.65	990.70	2,39,901.34	1,132.39	28,433.91	196.37
चीनी	टन	2,146.15	1,021.81	2,402.98	936.52	1,490.61	449.02	77.43	26.22
चाय	कि.ग्रा.	24,893.01	50.45	24,938.77	55.39	28,719.38	59.41	2,859.75	11.23
तम्बाकू निर्मित		-	34.07	-	28.85	-	36.76	-	4.48
तंबाकू अनिर्मित	कि.ग्रा.	1,969.03	11.47	1,542.20	10.78	2,595.83	14.48	141.72	0.41
वनस्पति तेल	टन	14,007.39	10,892.75	15,361.02	11,637.48	15,019.30	9,890.32	2,489.63	1,540.35
गेहूँ	टन	5,749.43	1,268.64	1,649.73	364.50	2.75	0.77	0.50	0.19
कुल			**25,039.64**		**24,303.84**		**20, 350.76**		**3,279.35**

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

अनुबंध- III

कृषि वस्तुओं के निर्यात और आयात का देश-वार विवरण (शीर्ष 10 देश)

क. निर्यात

	निर्यात मिलियन अम.डा. में		
देश	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
अमेरिका	3,648.58	4,643.83	4,581.16
वियतनाम गणतंत्र	4,327.88	5,280.10	3,703.01
ईरान	880.48	1,321.15	2,283.41
चीन पी आरपी	1,052.35	1,175.65	2,256.53
संयुक्त अरब अमीरात	2,127.87	2,182.97	1,907.86
बंगलादेश पीआर	1,378.91	2,241.42	1,833.88
सऊदी अरब	1,457.03	1,579.74	1,623.78
मलेशिया	878.56	910.73	951.67
इंडोनेशिया	733.94	652.87	948.83
नेपाल	837.04	874.83	913.34
अन्य देश	15,960.78	17,562.24	17,735.64
कुल कृषि निर्यात	**33,283.41**	**38,425.52**	**38,739.10**

ख आयात

	आयात मिलियन अम.डा.में		
आयात का देश	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
इंडोनेशिया	4,808.58	5,745.44	4,067.45
यूक्रेन	2,170.27	2,073.38	1,966.64
अर्जेंटीना	2,353.63	2,120.33	1,785.71
अमेरिका	1,455.69	1,833.87	1,659.40
मलेशिया	1,987.68	1,643.43	1,643.35
ब्राज़ील	1,454.45	1,382.66	950.04
सिंगापुर	55.43	57.95	638.18
संयुक्त अरब अमीरात	362.53	362.53	636.20
वियतनाम गणतंत्र	382.88	419.10	470.48
कोटा डि आईवर	393.03	353.82	434.42
अन्य देश	9,615.50	8,311.34	6,098.89
कृषि उत्पादों का कुल आयात	**25,039.64**	**24,303.84**	**20,350.76**

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1889**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

निर्यात से राजस्व वसूली नहीं होने के खतरे

1889. श्री निशिकांत दुबेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्यात से राजस्व वसूली नहीं होने के खतरे के विरुद्ध निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए कोई तंत्र लागू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजनार्थ किसी वित्तीय आबंटन का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी हॉ । 'ईसीजीसी ' लिमिटेड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है जो निर्यात से राजस्व वसूली न होने के खतरे के विपरीत लागत - प्रभावी बीमा एवं व्यापार से संबद्ध सेवाएं उपलब्ध करा कर भारतीय निर्यातकों एवं बैंकरों को सहायता उपलब्ध कराता है ।

इसके साथ ही, सरकार ने विदेशों एवं संबंधित क्रेता / बैंक के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक जोखिमों से दीर्घ एवं मध्यम अवधि के निर्यातकों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त ऋण बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु ईसीजीसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय निर्यात बीमा एकाउंट (एनईआईए) स्थापित किया है । एनईआईए ट्रस्ट क्रेताओं के क्रेडिट लेनदेन के लिए बैंको को भी कवर उपलब्ध कराता है जिससे विदेशी क्रेताओं को भारत को किए गए निर्यातों के लिए अदायगी की सुविधा मिलती है ।

(ख) ईसीजीसी निम्नलिखित सेवाएं देता है :

I. लघु - अवधि आधार पर राजनैतिक और / या वाणिज्यिक जोखिम के कारण विदेशी खरीददारों द्वारा निर्यात बकायों की गैर - अदायगी के कारण हुई हानि से निर्यातकों को सुरक्षित रखने के लिए ऋण बीमा स्कीमें (लोकप्रिय रूप से नीतियों के रूप में ज्ञात)

II. लघु - अवधि आधार पर निर्यातकों को शिपमेंट - पूर्व और शिपमेंट पश्चात वित्त प्रदान करने में शामिल बैंकों के जोखिम को कवर करने के लिए बैंकों हेतु निर्यात् ऋण बीमा कवर (ईसीआईबी) ।

III. ईसीजीसी मध्यम और दीर्घावधि निर्यातों (एमएलटी), जिन्हें अन्यथा परियोजना निर्यात कहा जाता है जोकि 360 दिनों की ऋण अवधि से अधिक पर किए जाते हैं, को प्रोत्सहित करने के लिए नीति और ईसीआईबी कवर भी देती है ।

(ग) जी हॉ ।

(घ) सरकार ने हाल ही में ईसीजीसी की मौजूदा अन्डरराइटिंग क्षमता में तेजी लाने के लिए इसके पूंजीगत आधार को बढ़ाने हेतु वित्त वर्ष 2017 -2018 से वित्त वर्ष 2019 -20 के दौरान इसमें 2000 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश को अनुमोदित किया है । इसके अतिरिक्त, इससे भारत के अफ्रीका, सीआईएस और लैटिन अमेरिका देशों जैसी उभरती बाजारों में भारत का निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1868**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुक्त व्यापार तथा भांडागार क्षेत्र

1868. श्री विनसेंट एच॰ पालाः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में मुक्त व्यापार तथा भांडागार क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूएच) की कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक केन्द्र की अवस्थिति एवं वस्तु स्थिति क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार तथा निजी पार्टियों द्वारा निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सृजित राजस्व की राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) भविष्य में कितने नए एफटीडब्ल्यूएच क्षेत्र, यदि कोई हों, विकसित करने का विचार है तथा इनके लिए कितनी राशि का प्रावधन किया गया है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): भारत में 8 अनुमोदित मुक्त व्यापार और भांडागार क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) हैं । 8 एफटीडब्ल्यूजेड में से 4 को अधिसूचित किया गया है और 3 प्रचालनशील है । भारत में इन एफटीडब्ल्यूजेड के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : इन एफटीडब्ल्यूजेड में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है । विगत पांच वर्षों के दौरान एफटीडब्ल्यूजेड में निजी विकासकों/उप - विकासकों द्वारा 3,315.81 करोड़ रूपए की कुल राशि निवेश की गई है । इसके अतिरिक्त, विगत पांच वर्षों के दौरान इन एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा 13,051.19 करोड़ रूपए का राजस्व सृजित किया गया है ।

(घ): नई एफटीडब्ल्यूजेड (एसईजेड) की स्थापना करना मुख्य रूप से निजी निवेश से प्रेरित है ।

*****

अनुबंध

भारत में मुक्त व्यापार और भाण्डारगार क्षेत्र (एफटीडब्लूयजेडएस) एसईजेड का ब्योरा				
क्र सं	**विकासक का नाम**	**स्थान**	**क्षेत्र हेक्टेयर**	**एसईजेड की स्थिति**
1	अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड	तालुका पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	57.898	अधिसूचित / प्रचालनशील
2	जे. मैटाडे फ्री ट्रेड ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड	श्रीपेरुमबुदुर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	40	अधिसूचित / प्रचालनशील
3	अर्शिया नॉर्दन एफटीडब्लूयजेड लिमिटेड	मौजपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	51.4394	अधिसूचित / प्रचालनशील
4	अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड	तालुका और जिला नागपुर, महाराष्ट्र	43.26	अधिसूचित
5	लेपाक्षी नॉलेज हब प्राइवेट लिमिटेड	चिल्ल्मातुरु मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	40	औपचारिक स्वीकृति
6	आईएसपीआरएल एफटीडब्लूयजेड पादुर (भारतीय स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड)	पादुर, कर्नाटक	41.20	औपचारिक स्वीकृति
7	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	थोप्पुम्पदी रामसाराम ग्राम , कोचीन, केरल	40.85	औपचारिक स्वीकृति
8	वेंकटेश कोक एंड पावर लि।	पोंनेरी तालुक, थिरुवलुर जिला, तमिलनाडु	46.71	औपचारिक स्वीकृति

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1849**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

चावल का आयात/निर्यात

1849. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित और आयातित चावल की मात्रा और मूल्य देश–वार और किस्म–वार क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बासमती चावल के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या ईरान सहित कुछ देशों ने भारत से बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है जिसके कारण उक्त अवधि के दौरान चावल के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रतिबंध की समीक्षा के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा देश में चावल विशेषकर बासमती चावल के निर्यात को बढावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात और आयात किए गए चावल की देश- वार और किस्म-वार (बासमती और गैर-बासमती) मात्रा और मूल्य, अनुबंध- I पर है

(ख) बासमती चावल का निर्यात वर्ष 2016-17 में 3208.60 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 4712.44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

(ग) किसी भी देश ने भारत से बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) बासमती चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), को बासमती चावल सहित चावल के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा फरवरी 2016 में बासमती चावल को भौगोलिक संकेत (जीआई) के रूप में पंजीकृत करने में सक्षम रहा है। एपीडा ने, व्यापार के सहयोग से, बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) भी स्थापित किया है, जो बासमती चावल के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करता है। । इसके अलावा, एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों के तहत बासमती चावल के निर्यातकों को सहायता भी प्रदान कर रहा है।

अनुबंध -I

बासमती चावल का निर्यात

मात्रा मी.ट. में ; मूल्य मिलियन अम. डा. में

देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल - मई)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	716582	564.28	877420	904.73	1483697	1556.17	333079	364.09
सउदी अरब	809344	671.08	792480	829.61	867741	938.91	171738	183.22
इराक	453741	337.32	429965	435.52	385732	399.43	56760	56.95
संयुक्त अरब अमीरात	614659	467.66	429324	437.66	282375	297.62	35131	39.50
यमन गणराज्य	130652	103.28	167687	161.04	201926	209.95	41352	43.06
कुवैत	162674	149.37	166873	177.91	154745	177.11	31275	32.57
अमेरिका	108992	112.17	126792	149.01	135605	168.74	25135	31.30
यूके	150537	101.55	180509	159.17	111924	106.08	14349	13.94
ओमान	83151	75.48	78085	89.64	87832	96.61	13771	15.63
कतर	81961	72.47	81101	82.08	73569	76.08	18126	18.26
अन्य देश	672917	553.92	726611	743.19	629459	685.75	123312	133.68
कुल	**3985210**	**3208.60**	**4056847**	**4169.56**	**4414605**	**4712.44**	**864028**	**932.20**

गैर-बासमती चावल का निर्यात

मात्रा मी.ट. में ; मूल्य मिलियन अम. डा. में

देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल - मई)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
नेपाल	583737	209.73	624860	240.40	770118	281.14	88905	36.00
बेनिन	702183	251.87	778779	314.19	699005	264.16	73372	27.33
बंगलादेश जन. गण	82689	29.67	2037980	835.39	480566	221.90	2550	2.28
सेनेगल	676060	189.68	833059	263.22	720475	220.83	11242	4.20
गिनी	541573	182.44	461978	173.81	467693	175.93	56369	21.04
कोट डी आइवरी	375024	124.14	398490	148.95	438089	163.17	61277	22.92
संयुक्त अरब अमीरात	260223	133.71	273773	149.21	291579	147.69	27197	14.23
सोमालिया	354677	121.66	328257	125.38	326919	120.89	64678	23.68
इंडोनेशिया	52214	18.51	39033	14.27	326005	119.22	0	0.00
लाइबेरिया	252381	90.97	264154	100.20	301112	116.97	380	0.13
अन्य देश	2890072	1172.80	2778170	1271.57	2778188	1208.32	325867	142.01
कुल	**6770833**	**2525.19**	**8818533**	**3636.60**	**7599749**	**3040.22**	**711837**	**293.82**

गैर-बासमती चावल का आयात

मात्रा मी.ट. ; मूल्य अम. डा. में

देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल - मई)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सूडान	0	0.00	0	0.00	3316	1568803.00	0	0.00
थाईलैंड	402	346701.00	508	483312.00	685	834602.00	170	204854.00
स्पेन	193	171059.00	575	469638.00	576	486171.00	225	184778.00
अमेरिका	356	356427.00	269	270738.00	430	468700.00	169	192146.00
इटली	139	175164.00	239	359123.00	220	223463.00	2	2675.00
अन्य देश	54	30952.00	531	309336.00	1644	979216.00	199	122077.00
कुल	**1144**	**1080303.00**	**2122**	**1892147.00**	**6871**	**4560955.00**	**765**	**706530.00**

<u>बासमती चावल का कोई आयात नहीं किया गया</u>

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1835**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाएं

1835. डॉ॰ भारती प्रवीण पवारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर महाराष्ट्र में शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) जी हां, सरकार की उत्तर महाराष्ट्र सहित देश में शीतागार और भांडागार अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत कोल्ड चैन और मूल्यवर्धन अवसरंचना स्कीम लागू कर रही है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर बागवानी उत्पादों के फसल कटाई के पश्चात हानियों को रोकना और कृषकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्रदान कराना है । इस स्कीम के अंतर्गत, महाराष्ट्र के लिए 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 33 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा 34 परियोजनानाएं क्रियान्वयनाधीन हैं । इन परियोजनाओं के लिए 481.64 करोड़ रुपये की कुल राशि की मंजूरी दी गई है जिसमें में 277.11 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये है।

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सहित देश में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ, शीतागार सहित फसल - पश्चात प्रबंधन (पीएचएम) की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है । एमआईडीएच के आरंभ (2014 -15) से महाराष्ट्र में 21 शीतागारों के लिए 2123.50 लाख रूपए की राशि को अनुमोदित किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (एफसीआई) के पास (दिनांक 28.06.2019 की स्थिति के अनुसार) उत्तर महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों के केंद्रीय पूल स्टॉक में कुल 4,51,703 एमटी की भण्डारण क्षमता है ।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1822**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक जोन

1822. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार स्थापित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) का ब्यौरा और संख्या कितनी है;
(ख) क्या कृषि कार्यकलापों को बढावा देने के लिए एसईजेड की स्थापना की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमित होने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 राज्य / निजी क्षेत्रों के विशेष आर्थिक क्षेत्र थे । इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत 416 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन दिया गया । वर्तमान में, 3 51 एसईजेड अधिसूचित हैं , जिनमें से 232 एसईजेड प्रचालनशील है । राज्य / संघ राज्य वार एसईजेड का ब्यौरा **अनुबंध- I** में दिया गया है ।

(ख) से (घ): जी हां । 7 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को भारत में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुमोदन दिया गया है । इन 7 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से 6 को अधिसूचित किया गया है और 3 एसईजेड प्रचालनशील है । भारत में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित एसईजेड का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध -II** पर है।

*****

अनुबंध - I

अनुमोदित एसईजेड का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार वितरण					
राज्य / संघशासित प्रदेश	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित किए गए राज्य सरकार / निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दिया गया औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनरत एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम के तहत सेज सहित)
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	19
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	28	24	20
हरियाणा	0	0	24	21	6
झारखंड	0	0	1	1	0
कर्नाटक	0	0	62	51	31
केरल	1	0	29	25	19
मध्य प्रदेश	0	1	10	5	5
महाराष्ट्र	1	0	49	43	30
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
ओडिशा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	3
तमिलनाडु	1	4	53	50	40
तेलंगाना	0	0	63	57	29
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	12
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
कुल योग	**7**	**12**	**416**	**351**	**232**

*****

अनुबंध -II

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची				
क्र. सं.	**विकासक का नाम**	**एसईजेड का प्रकार**	**स्थान**	**एसईजेड की स्थिति**
1	केरल औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (केआईएनएफआरए)	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	मलप्पुरम जिला, केरल	अधिसूचित / प्रचालनशील
2	पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित / प्रचालनशील
3	पर्ल सिटी (सीसीसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)	खाद्य प्रसंस्करण	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित / प्रचालनशील
4	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण	दीमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
5	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
6	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित
7	अक्षयपात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1808**

दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना

1808. डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धरः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस एसईजेड को कब तक स्थापित और चालू किया जाएगा;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं, तमिलनाडु के पेराम्बलूर जिले में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना मुख्यत: निजी निवेशोन्मुख है । केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किसी एसईजेड की स्थापना नहीं की है ।

******